प्रेस को सूचना नोट [प्रेस विज्ञप्ति संख्या 104 / 2023)

तत्काल प्रकाशन के लिए

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण

ट्राई ने उपभोक्ता संगठनों के पंजीकरण (संशोधन) विनियम, 2023 के मसौदे पर टिप्पणियां/जवाबी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाया

नई दिल्ली, 05 अक्टूबर 2023: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 14 सितंबर 2023 को उपभोक्ता संगठनों का पंजीकरण (संशोधन) विनियम, 2023 का मसौदा जारी किया था। हितधारकों से टिप्पणियां/जवाबी टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि शुरू में 04 अक्टूबर 2023 तय की गई थी।

2. अब, उपर्युक्त मसौदा संशोधन पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने के लिए हितधारकों से प्राप्त अनुरोधों पर, टिप्पणी जमा करने की अंतिम तिथि **20 अक्टूबर 2023** तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, यदि कोई जवाबी टिप्पणी है तो वह **27 अक्टूबर 2023** को या उससे पहले प्रस्तुत की जा सकती है।

3. किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, श्री आनंद कुमार सिंह, सलाहकार (उ.मा. एवं सू. प्रौ.), ट्राई से दूरभाष: 011-23210990 या ईमेल आईडी: advisorit@trai.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है।

वि. रघुनंदन

(वी. रघुनंदन)
सचिव, ट्राई